

**हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा**  
**कार्यसूची**  
**सप्तम् सत्र**  
**शनिवार, 6 दिसम्बर, 2014/15 अग्रहायण, 1936 (शक)**  
**11.00 बजे पूर्वाह्न**

**1. प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:** (पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे )

(i) स्थगित

(ii) दिन के लिए

(2) **अतारांकित:** (पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे )

(i) दिन के लिए

**2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-14; और

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2013-14 (31 मार्च, 2014 तक) ।

(2) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(10)-2/2014 दिनांक 5.8.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 6.8.2014 को प्रकाशित;

- (ii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/2013 दिनांक 20.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2014 को प्रकाशित;
- (iii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(10)-16/2014 दिनांक 22.9.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.9.2014 को प्रकाशित;
- (iv) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(10)-25/2014 दिनांक 17.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 से संलग्न अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(10)-25/2014 दिनांक 27.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.10.2014 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 से संलग्न अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(10)-4/2011 दिनांक 25.2.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.2.2014 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/2013 दिनांक 26.2.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.2.2014 को प्रकाशित;
- (viii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 से संलग्न अनुसूचि-1 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(10)-4/2011-पार्ट-1 दिनांक 1.4.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 4.4.2014 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल प्रदेश पथ कर अधिनियम, 1975 की धारा 13 की उपधारा(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथ कर अधिनियम, 1975 से संलग्न अनुसूची-11 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(1)-1/2014 दिनांक 4.6.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 9.6.2014 को प्रकाशित;

(x) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-क में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/2013 दिनांक 25.7.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.7.2014 को प्रकाशित; और

(xi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-क में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई०एक्स०एन०-एफ(10)-5/2014 दिनांक 28.7.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.7.2014 को प्रकाशित ।

(3) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 65(2) के अन्तर्गत विकलांगता पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 तथा 2012-2013; और

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1बी) के अन्तर्गत अनुसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अनुसूचित जाति अन्यपिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-2013 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(4) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उपधारा(5) के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

### 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15)**, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **59वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **60वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 49वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **61वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 50वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मत्स्यपालन विभाग** से सम्बन्धित है;

- (iv) समिति का 62वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 52वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मत्स्यपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और
- (v) समिति का 63वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 57वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मत्स्यपालन विभाग** से सम्बन्धित है ।
- (2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15)**, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:4.10 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है; और
- (ii) समिति का 24वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15), जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या: 4.11 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है ।
- (3) **श्री खूब राम, सभापति कल्याण समिति, (वर्ष 2014-15)**, समिति का 12वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 44वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(बृज बिहारी लाल बुटेल ),  
अध्यक्ष ।

( सुन्दर सिंह वर्मा ),  
सचिव ।

\*\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो,की भी जांच कर लें)